No. SML-EK-XIX (99)/89-III- 161597
Office of the Deputy Commissioner,
Shimla District, Himachal Pradesh.

To

The Director Land Records,
Himachal Pradesh.

Dated Shimla 171001 the 23 th September, 2022

Subject: - Regarding selection of candidates to impart Patwar Training to them for filling ups the vacant posts of Patwaris in Revenue Department through the Himachal Pradesh Staff Selection Commission (H.P.S.S.C) Hamirpur.

Sir,

Kindly refer to your office letter no. Rev.(LR)A(3)3/2022-Patwar Examination-12866-77 dated 31-08-2022 on the subject cited above.

In this regard it is submitted that the detailed proposal for framing the R&P Rules of Patwaris on the Proforma prescribed by the Department of Personnel for this purpose is enclosed herewith as Annexure-A/ उपाबन्ध-I (in English & Hindi respectively) for taking further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Aditya Negi, IAS.
Deputy Commissioner, Shimla.

hpexamaffairs

Annexure-A

Recruitment and Promotion Rules for the post of Village Revenue Officers / Patwari Group-C (Non-Gazetted) in the Department of Revenue Himachal Pradesh.

1.	Name of the Post:	Village Revenue Officer / Patwari (Mohal) (Field VRO, Assistant Office Kanungo, Patwari Tracer, Patwari Establishment, Patwari M&JM, Patwari District HQ)
2.	Number of Post(s):	329 (in District Shimla)
2A.	Whether State Cadre or District Cadre:	District Cadre.
3.	Classification:	Group-C (Non-Gazetted)
4.	Scale of Pay:	1. Pay of scale for regular incumbents:- Rs. 20200/- (level-3- on regular appointment) Rs. 30500/- (after two years regular service) 2. Emoluments for contract employee(s): Rs. 12120/- (60% of the first cell of level-3)
5.	Whether selection post or non-selection post:	Selection
6.	Age for direct recruitment:	Between 18 and 45 years.

hpexamaffairs

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/ she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/ her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector, Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies and who are/ were finally observed, in the service of such corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7.	Minimum education and other	a. Essential Qualification(s):

	qualifications required for direct recruit(s):	i. Bachelors Degree from a recognised University/ Institution. ii. One Year's Diploma in Basic Computer Applications from a recognised Institution. b. Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promote(s):	Not Applicable.
9.	Period of probation, if any.	1. No probation in case of appointment on contract basis. 2. However, in case of regular appointment, probation of two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made:	Not Applicable.
12.	If a Departmental promotion Committee exists; what is its composition.	Not Applicable.
13.	Circumstances under which the HP Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14.	Essential requirement for direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for training of Patwari candidates and their recruitment for the post of Patwari.	1. Selection for Patwari Training shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or

hpexamaffairs

other recruiting agency/ authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard / syllabus etc of which will be determined by the Commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.

hpexamaffairs

2. Selected candidates as per their seniority maintained in the selection test by the Commission shall have to undergo Patwari Training in three phases (Mohal Training in respective District applied for, Settlement Training in any Settlement Circle provided by the Settlement Officer and Academic Training at Revenue Training Institute Joginder Nagar or any other Institute prearranged in this behalf) of six months each. The Director Land Records, Himachal Pradesh shall make all the arrangements/ orders with regard to the providing of above said Training to the Patwari Candidates of all the Districts. Patwari Candidates shall be paid Rs. 5000/- stipend per month during their training period.
3. On the completion of training, the candidates shall have to qualify the Patwar Examination by such standard and syllabus as may be prescribed by the Financial Commissioner (Revenue) from time to time. Patwar Examinations shall be conducted by the Director Revenue Training Institute.

Provided that a candidate, who does not qualify the Patwari Examination in the first attempt, can qualify the same in Five subsequent successive examinations, which shall also be held by the Director Revenue Training Institute. He shall ensure to conduct the examination, in which Patwari Candidates could not pass in the first attempt, within two months positively.

4. On passing of Patwari Examination, the candidate will be considered as 'Qualified Patwari Candidate'. The Director Land Records, Himachal Pradesh shall in consultation with the

Commission give the list/ names of 'Qualified Patwari Candidates' (which shall be provided by the Director Revenue Training Institute) to the respective Deputy Commissioners, in which the seniority of the Qualified Patwari Candidates will be fixed in accordance with their merit determined on the basis of Patwari Examination and Practical Training. The Qualified Patwari Candidates will be offered the post of Patwari by the respective Deputy Commissioners, strictly in accordance with order of merit/ list of names provided by the Director Land Records, Himachal Pradesh and as per the roster prescribed by the State Government for filling up of vacancies reserved for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ Other categories of persons time to time.

Provided that the candidates who do not qualify the Patwari Examination in the first attempt and qualify the same later on, their names/ seniority will be placed/ fixed below the Patwari candidates who have qualified the examination in the first attempt and so on.

Provided further that the candidates, who fail to qualify the examination in the fifth attempt, shall be considered ineligible for appointment to the post of Patwari and their candidature shall stand cancelled. The Director, Revenue Training Institute, Joginder Nagar, Mandi shall send the information of such Patwari candidates to the Director, Land Records, Himachal Pradesh.

Provided further that the qualified Patwari candidates will be offered the post of Patwari on batch-wise basis i.e. the Qualified Patwari Candidates of first batch will be considered first for the post of Patwari and thereafter second batch, third batch and so on. Thus, the candidate who does not pass the Patwari examination in first attempt but passes the same before or on the date of declaration of result of Patwari Examination of Qualified candidates of second batch, his name will be considered first for the post of Patwari irrespective of his merit obtained in the Patwari Examination. But, in case, he passes, said examination after the declaration of result

of candidates of second batch and before or on the date of declaration of result of Qualified candidates of third batch, his name/ seniority will be placed below the Qualified candidates of second batch but above the Qualified candidates of third batch irrespective of his merit obtained in the Patwari Examination and so on.

Provided further that the factor of merit obtained in the Patwari Examination and practical training for the purpose of fixing seniority of Qualified Patwari Candidates will be applied only within the same batch and not in fixing seniority of Qualified candidates of different batches.

15-A	Selection for appointment to the post by contract appointment	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Village Revenue Officer/ Patwari (Mohal) in the Department of Revenue, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for the extension/ renewal of contract period of the contract appointee, the concerned HOD shall issue a certificate regarding work and conduct of the contract appointee. In case, the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC**:

The concerned Deputy Commissioner after obtaining approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission/ Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Village Revenue Officer/ Patwari (Mohal) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @Rs. 12120 + Rs. 100/- Special Pay Allowance + Rs. 125/- Basta Allowance + Rs. 125/- Stationary Allowance + Rs. 500 Fixed Travelling Allowance. An amount of Rs. 600 as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY

The concerned Deputy Commissioners, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

The selection process will be followed as per procedure laid down in para-15 of rules

ibid.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission/ Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per Annexure"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

a. The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @Rs. 12120 + Rs. 100/- Special Pay Allowance + Rs. 125/- Basta Allowance + Rs. 125/- Stationary Allowance. The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @Rs. 600 for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc will be given.

b. The service of the contract appointee will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

c. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 180 days maternity leave, 15 days paternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the no. of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/ She shall also be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up-to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

d. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

e. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

f. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a

Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

g. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

h. Provisions of service ruled like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct ruled etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/ scheduled tribes/ Other Backward classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination	As prescribed by FC (Revenue).
18.	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person (s) or post(s).

Deputy Commissioner, Shimla
District Shimla.

उपाबन्ध-I

हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में ग्रामीण राजस्व अधिकारी / पटवारी वर्ग-सी (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम:	ग्रामीण राजस्व अधिकारी/ पटवारी (मोहाल) (क्षेत्रीय ग्रामीण राजस्व अधिकारी, सहायक कार्यालय कानूनगो, पटवारी ट्रेसर, पटवारी स्थापना, पटवारी (एम & जे एम), पटवारी जिला मुख्यालय)
2.	पदों की संख्या:	329 (जिला शिमला)
2A.	जिला संवर्ग या प्रदेश संवर्ग:	जिला संवर्ग।
3.	वर्गीकरण:	वर्ग-सी (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान:	1. नियमित कर्मचारियों को वेतनमान- रू. 20200/- (स्तर-3, प्रथम सेल नियमित नियुक्ति पर) रु. 30500/- (दो साल की नियमित सेवा पूर्ण करने पर) 2. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां- रू. 12120/- (स्तर-3 के प्रथम सेल का 60%)
5.	पद "चयन" है या "अचयन":	चयन।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु:	18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रुप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह इसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलिकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछडा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है । ऐसी रियायत तथापि पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्माचारिवृन्द को

अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए है और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारंभिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए है / किए गए थे ।

टिप्पणी – सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	क. अनिवार्य अर्हता 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बेसिक कम्पयूटर एप्लीकेशन में एक साल का डिपलोमा। ख. वांछनीय अर्हताएः हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज़ों, तौर तरीकों व बोलियों का ज्ञान।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं:	प्रयोज्य नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	1. अनुबंध आधार पर नियुक्ति के मामले में कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी। 2. हालांकि, नियमित भर्ती में दो वर्ष, जिसका वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
10.	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/ सैकेण्डमेंट/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा	100% सीधी भर्ती द्वारा ।

भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताः

11.	प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगाः	प्रयोज्य नहीं।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः	प्रयोज्य नहीं।
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	1. पटवारी प्रशिक्षण के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ट प्रकार की)/ लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 2. चयनित अभ्यार्थियों को आयोग द्वारा जारी चयन परीक्षा की वरिष्ठता के आधार पर तीन चरणों में पटवारी प्रशिक्षण से गुजरना होगा (सम्बंधित जिले में मोहाल प्रशिक्षण (चार माह), बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी बंदोबस्त मंडल में बंदोबस्त प्रशिक्षण (चार माह) और राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, या कोई अन्य संस्थान जो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, से

शैक्षणिक प्रशिक्षण (चार माह)। निदेशक, भू-अभिलेख, हिमाचल प्रदेश सभी जिलों के पटवारी उम्मीदवारों को उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में सभी व्यवस्थाएं / आदेश करेंगे। पटवारी उम्मीदवारों को उनके प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति माह 5000/- वजीफा रुपये का भुगतान किया जाएगा।

3. प्रशिक्षण पूरा होने पर, उम्मीदवारों को वित्तीय आयुक्त (राजस्व) द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक और पाठ्यक्रम पर आधारित पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। पटवार परीक्षाएं निदेशक राजस्व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित की जाएंगी।

बशर्ते कि एक उम्मीदवार, जो पहले प्रयास में पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है, वह बाद में पांच लगातार परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकता है, जो निदेशक राजस्व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ही आयोजित की जाएगी। साथ ही निदेशक राजस्व प्रशिक्षण संस्थान इस परीक्षा का संचालन पटवारी उम्मीदवार के पटवार परीक्षा उत्तीर्ण न करने की तिथि से दो माह के भीतर करना सुनिश्चित करेंगे।

4. पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उम्मीदवार को 'योग्य पटवारी उम्मीदवार' माना जाएगा। निदेशक, भू-अभिलेख, हिमाचल प्रदेश आयोग के परामर्श से 'योग्य पटवारी उम्मीदवारों' (जिनके नाम निदेशक राजस्व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किए जाएगें) की सूची / नाम संबंधित उपायुक्तों को देगा, जिसमें योग्य पटवारीयान की वरिष्ठता पटवारी परीक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित की जाएगी। योग्य पटवारी उम्मीदवारों को संबंधित उपायुक्तों द्वारा पटवारी के पद पर नियुक्ति, निदेशक भू- अभिलेख, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई वरिष्टता सूचि / नामों के क्रम के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर

के अनुसार दी जाएगी।

बशर्ते कि जो उम्मीदवार पहले प्रयास में पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं और बाद में उन्हें उत्तीर्ण करते हैं, उनके नाम/वरिष्ठता उन पटवारी उम्मीदवारों के नीचे रखे जाएगे, जिन्होंने पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की है और इसी तरह आगे भी।

परन्तु यह और कि जो अभ्यर्थी पांचवे प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं, उन्हें पटवारी के पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान ऐसे पटवारी उम्मीदवारों की जानकारी निदेशक, भू-अभिलेख, हिमाचल प्रदेश को भेजेगे।

बशर्ते आगे कि पटवारी के पद के लिए योग्य पटवारी उम्मीदवारों को बैच के आधार पर नियुक्त किया जाएगा अर्थात पहले बैच के योग्य पटवारी उम्मीदवारों को पहले और उसके बाद दूसरे बैच, तीसरे बैच आदि के लिए तदानुसार नियुक्ति दी जाएगी। इस प्रकार, जो उम्मीदवार पहले प्रयास में पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है, लेकिन दूसरे बैच के योग्य उम्मीदवारों की पटवारी परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से पहले या उस दिन भी पास करता है, उस पटवारी उम्मीदवार को पहले नियुक्ति दी जाएगी। परन्तु, यदि वह उक्त परीक्षा दूसरे बैच के अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित होने के पश्चात् तथा तृतीय बैच के अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित होने की तिथि से पूर्व या तिथि को उत्तीर्ण कर लेता है तो उसका नाम / वरिष्ठता दूसरे बैच के अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से नीचे रखा जायेगा। लेकिन पटवारी परीक्षा आदि में प्राप्त योग्यता के बावजूद तीसरे बैच के योग्य उम्मीदवारों से ऊपर।

परन्तु यह और कि पटवारी परीक्षा में प्राप्त योग्यता का कारक और अर्हता प्राप्त पटवारी अभ्यर्थियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के प्रयोजन से व्यावहारिक प्रशिक्षण केवल एक ही बैच के भीतर लागू किया जाएगा, न कि विभिन्न बैचों के योग्य उम्मीदवारों की वरिष्ठता

		निर्धारित करने में।
15-क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी।

(1) संकल्पना

(क) इस पालिसि के अधीन हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में ग्रामीण राजस्व अधिकारी/ पटवारी (मोहाल) का संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविधा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/ नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण- पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः

सम्बंधित उपायुक्त रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(2) संविदात्मक उपलब्धियाः

संविदा के आधार पर नियुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी/ पटवारी (मोहाल) को रु. 12,120 + रु. 100/- (विशेष वेतन भत्ता) + रु. 125/- बस्ता भत्ता + रु. 125/- लेखन सामग्री भत्ता + रु. 500/- निश्चित यात्रा भत्ता। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संविदात्मक उपल्बधियों में रु. 600/- की रकम वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।

(3) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी

संबंधित उपायुक्त नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(4) चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया उपरोक्त वर्णित नियम के पैरा 15 के अनुसार की जाएगी ।

(5) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(6) करारः

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(7) <u>निबन्धन और शर्तें:</u>

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी/ पटवारी (मोहाल) को रु. 12,120 + रु. 100/- (विशेष वेतन भत्ता) + रु. 125/- बस्ता भत्ता + रु. 125/- लेखन सामग्री भत्ता + रु. 500/- निश्चित यात्रा भत्ता। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढोतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रु. 600/- की रकम वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि 180 दिन के प्रसूति अवकाश, 15 दिन के पितृत्व अवकाश 10 दिन चिकित्सा अवकाश और 5 दिन का विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा। गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिन के प्रसुति अवकाश के लिए भी हकदार होगी। यह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी आदि के लिएं हकदार नहीं होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बिमारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पुर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशा,नीक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानातरण के लिए पात्र गोगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रस्व होने तक

अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्रधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जायेगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भते / दैनिक भते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0 छुट्टी नियम साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचारण नियम आदि के उपलब्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर मियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. बी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा	प्रयोज्य नहीं।
18. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इस नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपायुक्त शिमला,
जिला शिमला।